झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—524/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— बुचाओपा जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 1274.714 लाख (रूपये बारह करोड़ चौहत्तर लाख एकहत्तर हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची परिक्षेत्राधीन लोहरदगा जिलान्तर्गत चान्हों/कुडू प्रखड में निर्मित बुचाओपा जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 1274.714 लाख (रूपये बारह करोड़ चौहत्तर लाख एकहत्तर हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के P.C.C. लाईनिंग कार्य हेतु प्राक्कलन में शीर्ष कार्य की आवश्यकता के अनुसार मरम्मति यथा मिट्टी बाँध के U/S Rip-rap की मरम्मति, D/S Slope का मरम्मति एवं Turfing, D/S Slope की सुरक्षा के लिए Berm Drain, Slope Drain एवं Toe Drain का निर्माण के साथ—साथ क्षतिग्रस्त Rock Toe की मरम्मति एवं Dam Top पर Parapet, Wheel Guard, 150 mm मोटा Moorum इत्यादि का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत विभिन्न गेटों के यांत्रिक मरम्मति कार्यों हेतु रू० 35.788 लाख का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त नहर संरचनाओं यथा 5 अदद् जल प्रपात, 13 अदद् Hume Pipe Culvert की मरम्मति एवं एक अदद् Aqueduct की मरम्मति का प्रावधान है। नहरों में सभी Out-Let ध्वस्त हो गये हैं, फलतः आवश्यकता अनुसार बांया मुख्य नहर में 17 अदद् एवं दांया मुख्य नहर में 24 अदद्, कुल 41 अदद् Outlet के पुनर्निर्माण का प्रावधान किया गया है।

4. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ कर बारह महीने में वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस पुनरूद्धार कार्य को पूर्ण कराने के पश्चात् दोनों मुख्य नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाया जा सकेगा तथा 574 हेक्टेयर खरीफ एवं 210 हेक्टेयर रब्बी सिंचाई दी जा सकेगी।

5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची होंगे। यांत्रिक कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची होंगे।

6. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. वर्ष 2017–18 के बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 11000.00 लाख

8. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

9. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

11. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–524 / 2016– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–524 / 2016– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–524 / 2016– 29/17-18 प्र.सी. **/ राँची, दिनांक** 31.07.2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, राँची / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/17

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

31/07/17